उत्तराखण्ड शासन,
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4
संख्या– 504 / XXIV–4 / 2011
छेहरादूनः दिनांक 18 अक्टूबर, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड विद्यालयी परिषद् विनियम, 2009 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियम बनाते हैः–

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (प्रथम संशोधन) विनियम, 2011

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (प्रथम संशोधन) विनियम, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्याय–दो के विनियम 2 के उपविनियम(1) का संशोधन

2. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009 के अध्याय–दो के वर्तमान विनियम 2 के उपविनियम (1) को नीचे स्तम्भ 1 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपविनियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
अध्याय–दो–विनियम 2(1)–	अध्याय–दो–विनियम 2(1)–
संस्था के प्रधान का पद, यथास्थिति धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन गठित चयन समिति को निर्देश करने के पश्चात खण्ड (2) में किये गये उपबन्धों के सिवाय सीधी भर्ती द्वारा किया जायेगाः प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी संस्था की दशा में जो धारा 38 में निर्दिष्ट संस्था न हो, संस्था के प्रधान के पद में ऐसी अस्थायी रिक्त जो किसी	संस्था के प्रधान का पद, यथास्थिति धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन गठित चयन समिति को निर्देश करने के पश्चात खण्ड (2) में किये गये उपबन्धों के सिवाय सीधी भर्ती द्वारा किया जायेगाः परन्तु यह कि किसी ऐसी संस्था की दशा में जो धारा 38 में निर्दिष्ट संस्था न हो, संस्था के प्रधान के पद में ऐसी अस्थायी रिक्ति, जो किसी पदधारी को किसी शिक्षा सत्र के दौरान छः माह से

पदधारी को किसी शिक्षा सत्र के दौरान छः माह से अनाधिक अवधि की छुट्टी प्रदान करने या किसी पदधारी की मृत्यु या सेवा–निवृत्ति या उसके निलम्बन के कारण हुई हो संस्था में उच्चतम श्रेणी में ज्येष्ठतम अर्ह अध्यापक की, यदि कोई हो पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

अनधिक अवधि की छुट्टी प्रदान करने या किसी पदधारी की मृत्यु या सेवा निवृत्ति या उसके निलम्बन के कारण हुई हो, संस्था में उच्चतम श्रेणी में जेष्ठतम अर्ह अध्यापक की, यदि कोई हो पदोन्नति द्वारा भरा जायेगाः

परन्तु यह और कि हाईस्कूल प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु सम्बन्धित विद्यालय के नियमित, वरिष्ठतम एवं ऐसे सहायक अध्यापक, जो प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति हेतु विनियम के अध्याय दो परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित अर्हता रखते हो और जब वे साधारण वेतनमान से 10 वर्ष पश्चात् चयन वेतनमान प्राप्त करें, तो उसे प्रधानाध्यापक पद का डाउन ग्रेड वेतनमान देते हुए डाउन ग्रेड प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति दी जायेगी तथा प्रधानाध्यापक पद पर 05 वर्ष डाऊन ग्रेड में कार्य करने के उपरान्त प्रधानाध्यापक का वेतनमान अनुमन्य होगा तथा इण्टरमीडिएट प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु सम्बन्धित विद्यालय के नियमित, वरिष्ठतम एवं ऐसे प्रवक्ता, जो प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हेतु विनियम के अध्याय दो परिशिष्ट "क" में उल्लिखित अर्हता रखते हों और जब वे साधारण वेतनमान से 10 वर्ष पश्चात् चयन वेतनमान प्राप्त करें तो उसे प्रधानाचार्य के पद का डाउन ग्रेड वेतनमान देते हुए डाउन ग्रेड

प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति दी जायेगी तथा उक्त पद पर 05 वर्ष डाऊन ग्रेड में कार्य करने के उपरान्त प्रधानाचार्य का वेतनमान अनुमन्य होगाः

परन्तु यह भी कि उपर्युक्त द्वितीय परन्तुक में उल्लिखित पदों पर कार्यरत व्यक्ति की सेवानिवृत्ति आदि से रिक्त पद पर पात्र शिक्षक उपलब्ध न होने की दशा में, इन पदों को अधिनियम एवं तद्धीन बनाए गए विनियम की संगत धाराओं के अनुसार सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार)।

संख्या–504 (1)/xxiv–4/2011,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री को मा0 शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव, महोदय के अवलोकनार्थ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक/सभापति, विद्यालयी शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से कि अधिसूचना की 300 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. एंन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उषा शुक्ला)
अपर सचिव।